

'खाता दुरुस्ती आयेदन-पत्र'
(राज. मू राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
हमीरगढ़

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।
महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम अरजोद की जमायन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 46, 431 में मेरे पिता का नाम परशु पुर्यु उर्फ देसावैत के अनुसार मेरे पिता का नाम पृथ्वीराज पुत्र नन्दु शम गाडगी है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक

प्रार्थी श्रीमान

रिपोर्ट पटवारी एवं म.अ.निरीक्षक

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम अरजोद के राजस्व रिकॉर्ड जमायन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 46, 431 में प्रार्थी का नाम श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान पुत्र परशु उर्फ देसावैत दर्ज है। जयकि मुताबिक सलंगन देसावैत व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान है जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

मू.अ.नि.

पटवारी श्रीमान राणावत
पटवारी अरजोद
तहसील-हमीरगढ़

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा राज. मू राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी अरजोद व मू.अ.नि. अरजोद एवं प्रार्थी द्वारा सलंगन देसावैत के आधार पर ग्राम अरजोद की जमायन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 46, 431 में प्रार्थी का नाम श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान पुत्र परशु उर्फ देसावैत के अनुसार मेरे पिता का नाम पृथ्वीराज पुत्र नन्दु शम गाडगी है।

तहसीलदार / नायब तहसीलदार
हमीरगढ़

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम अरजोद जमायन्दी संवत् 2076 - 2079 के खाता संख्या 46, 431 में दर्ज प्रार्थी का नाम श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान पुत्र परशु उर्फ देसावैत के अनुसार खातेदार का सही नाम श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान संशोधन के लिये दिये जाते हैं।

श्रीमान T.O. R. हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा